संख्या-18/2016/117 बीपी/35-1-2016

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **14** जून, 2016

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या: 34बी0पी0/35-1-2014, दिनांक 28 फरवरी, 2014 के माध्यम से लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित निम्नांकित परियोजनाओं को रू0 172.50 करोड (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 17.20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई और पूर्ण धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 132 बीपी/35-1-2014, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यो हेतु रू. 39.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या 185 बीपी/35-1-2014, दिनांक 6 अगस्त, 2014 द्वारा रू. 18.85 करोड़ की धनराशि अर्थात वर्ष 2014-15 में परियोजना के अवशेष कार्यो हेतु कुल मिलाकर रू0 57.85 करोड अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कुल रू0 48.85 करोड व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या: 30/2015/114बीपी/35-1-2015, दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यो हेतु रू. 15.45 करोड़ अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कुल रू 14.75 करोड व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2015-16 तक परियोजनान्तर्गत कुल रू. 63.60 करोड़ धनराशि व्यय और अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0 108.90 करोड अवशेष देय होती है। एतद्द्वारा परियोजनाओं के अवशेष कार्यो हेतु भारत सरकार से उपलब्ध सहायता सीमा के अधीन रहते हुए रू0 89.74 करोड (रूपये नवासी करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(करोड़ रू. में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वर्ष 2015-16 तक व्यय	भारत सरकार से प्राप्त सहायता	लागत के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	सामुदायिक नलकूपों का निर्माण	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
2	चेक डैम का निर्माण	160.00	51.10	140.84	108.90	89.74
	योग	172.50	63.60	153.34	108.90	89.74

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

2- द्विरावत्ति से बचने के लिए कार्य स्थल की जी.आई.एस .मैपिंग भी कराई जायेगी तथा कार्यो को अवमुक्त धनराशि से गुणवत्ता के साथ ही पूर्ण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक 03 माह में अर्थात 30 जून, 2017 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-82– लघु सिंचाई के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण-24–बृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्षक में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03- बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-00-42- अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर स्वीकृत की गई है। आदेश यू.ओ. संख्या: 06बीके/35-1-2016, दिनांक 09 जून, 2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जे.बी.सिंह
विशेष सचिव।

संख्या–18/2016/117बीपी(1)/35-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई/वन/कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जे.बी.सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in